हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15-6-23	पत्रावली पेश हुई आदेश [illegible] आवश्यक रूप से तलबी हेतु रजिस्टर्ड [illegible] जारी पत्रावली दिनांक 24-7-23 को पेश होवे। उपजिलाधिकारी मवाना	
24-7-23	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यो में व्यस्त है। दिनांक 20-9-23 को पेश हो। रीडर	
20.9.23	वकील वादी/वकुलाय उप०। बार का कार्य स्थगन होने के कारण पत्रावली वास्ते...... दिनांक 30-11-23 को पेश हो।	
30-11-23	वकील वादी/वकुलाय उप०। बार का कार्य स्थगन होने के कारण पत्रावली वास्ते...... दिनांक 1-2-24 को पेश हो।	
1.2.24	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यो में व्यस्त है। दिनांक 14-3-24 को पेश हो। रीडर	
14.3.24	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यो में व्यस्त है। दिनांक 8.5.24 को पेश हो।	
8-5-24	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यो में व्यस्त है। दिनांक 16-7-24 को पेश हो। रीडर	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	10-7-24 पत्रावली पेश हुई। [illegible] पीठासीन [illegible] कार्यों में [illegible] 20-8-24 को पेश [illegible]
	20.8.24 अपील वादी/वकुलाय उप०। बार का कार्य स्थगन होने के कारण पत्रावली वास्ते......... दिनांक 19-11-24 ......को पेश हो। 7-10-24
	7/10/24 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 14/10/24 को पेश हो।
	14.10.24 वकील वादी/वकुलाय उप०। बार का कार्य स्थगन होने के कारण पत्रावली वास्ते......... दिनांक 21-10-24 ....को पेश हो।
21-10-24	पत्रावली पेश हुई पत्रावली पर बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश 05-11-24 को पेश होवे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	अहकाम जो [illegible] हुक्म की तामील में जारी हुए
05-11-24 पत्रावली पेश हुई वकीलान उपस्थित है निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली नम्बर से कम हो बाद तकमील पत्रावली दाखिल होवे। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी अलवर	

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,अलवर जिला अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रतीक जुईकर (आई0ए0एस)

मु.नं.	किस्म	तारीख दायर	तारीख निर्णय
5/10	अपील	23.08.2022	05.11.2024

उनवान

1:–कासमदीन पुत्र ईस्माइल खॉन जाति मेव निवासी कैमाला तहसील अलवर

2:–मौसमदीन पुत्र ईस्माइल खॉन जाति मेव निवासी कैमाला तहसील अलवर

बनाम

1:–सरपंच, ग्राम पंचायत घेघोली पंचायत समिति उमरैण, तहसील अलवर

अपील विरूद्ध इंतकाल संख्या 1147 दिनॉक 21.04.2022 वाके ग्राम घेघोली पंचायत समिति उमरैण, तहसील अलवर

निर्णय

अपीलान्टस ने राज.भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत जर्ये वकील ने निवेदन किया कियह है कि अपीलांटान ने आराजी खसरा नंबर 670/1008 रकबा 0.75 हैक्टर वाके ग्राम घेघोली तहसील अलवर में से 2/3 भाग अर्थात रकबा 0.50 हैक्टर तरफ दक्षिण जरिये पंजीकृत बयनामा दिनांक 21–1–2022 ज्योति सचदेवा पत्नी विनोद सचदेवा वासी पण्डित का बास घेघोली से कय की है। तथा बाद खरीद उक्त आराजी पर अपीलांट काबिज काश्त है तथा उक्त बयनामा के आधार पर अपीलांट द्वारा अपने नाम इंतकाल राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने हेतु पटवारी हल्का घेघोली को प्रस्तुत किया जिसपर पटवारी हल्का इंतकाल भर कर ग्राम पंचायत को तस्दीक हेतु भिजवा दिया जिस इंतकाल को दिनांक 21 अप्रेल 2022 को यह लिखते हुये अस्वीकार कर दिया कि खसरा नबर 670/1008 का मौका देखा गया भूमि पडत है तथा कृषि वास्ते उपयोग में नही है मिटटी उठाई हुई है अतः अस्वीकार किया जाता है। जिस आदेश ग्राम पंचायत से व्यथित होकर यह अपील निम्न वजूहात के साथ पेश की जा रही है इंतकाल नंबर 1147 वाके घेघोली ग्राम पंचायत घेघोली द्वारा तस्दीक किया गया है जिसके विरूद्ध अपील सुनवाई का श्रीमान को क्षेत्राधिकार है कि विवादित इंतकाल 1147 वाके घेघोली दिनांक 21–4–2022 का है जिसकी जानकारी मिन अपीलांट को पूर्व में नहीं थी जिसकी सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 16–8–2022 को जब अपीलांट पटवारी हल्का के पास राजस्व रेकार्ड की जानकारी करने गये तो पटवारी हल्का ने उक्त इंतकाल के बारे में जानकारी दी ओर बताया कि इंतकाल अस्वीकार कर दिया है जिस

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

नकल हेतु आवेदन 16–8–2022 को पेश किया जो नकल 16–8–22 को ही प्राप्त हो गई के बाद अपीलांट ने अपने वकील साहब से कानूनी सलाह मशवरा किया तो वकील साहब अपील पेश करने की सलाह दी जिस पर खर्चे का इंतजाम कर जानकारी से बिला देरी ंदर अंवधी अपील प्रस्तुत है अवधी कन्डोन हेतु दफा 5 मयाद अधि० का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है।

अपील हाजा के साथ इंतकाल नंबर 1147 ग्राम घेघोली की सत्यप्रतिलिपी पेश है। ग्राम पंचायत द्वारा विवादित इंतकाल विधि विरूद्व मनमाने तरीके से अस्वीकार किया है इसलिये तहत अदालत ग्रामपंचायत का आदेश दिनांक 21–4–22 बाबत इंतकाल नंबर 1147 निरस्त किये जाने योग्य है बयनामा के आधार पर इंतकाल स्वीकार किया जाना कानून सम्मत है तथा ग्राम पंचायत को बय का इंतकाल स्वीकार करते समय मौका देखने या उसके उपयोग के बारे में तहकीकात करने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त बयनामा के तहत खरीद की गई आराजी कृषि भूमि है ओर बयनामा में भी कृषि भूमि का ही अंकन है तथा आज भी मौके पर कृषि भूमि है जो तथ्य काबिल गोर अदालत श्रीमान है। ऐसी सूरत में तहत अदालत का आदेश निरस्तनीय है

अतः अपीलांट अपील प्रस्तुत कर प्रार्थना करता है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत का आदेश दिनांक 21–4–2022 बाबत इंतकाल नंबर 1147 वाके ग्राम घेघोली निरस्त फरमाया जावे और बयनामा के आधार पर अपीलांट के नाम इंतकाल दर्ज व स्वीकार किये जाने के आदेश सादिर फरमाने की कृपा करे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस जरिये नोटिस तलब किये गये। रेस्पोडेन्ट विधि सम्मत तामील उपरान्त भी उपस्थित नही हुये उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल मे लेते हुये बहस सुनी गई बहस मे अपीलान्ट के द्वारा कथन किया कि आराजी खसरा नंबर 670/1008 रकबा 0.75 हैक्टर वाके ग्राम घेघोली तहसील अलवर में से 2/3 भाग अर्थात रकबा 0.50 हैक्टर तरफ दक्षिण जरिये पंजीकृत बयनामा दिनांक 21–1–2022 ज्योति सचदेवा पत्नी विनोद सचदेवा वासी पण्डित का बास घेघोली से कय की है। तथा बाद खरीद उक्त आराजी पर अपीलांट काबिज काश्त है तथा उक्त बयनामा के आधार पर अपीलांट अपील स्वीकार की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया वकुलाय को सुना गया प्रार्थना पत्र दफा 5 पर नरम रूख अपनाते हुऐ प्रार्थना पत्र दफा 5 स्वीकार किया तथा बहस पर मनन किया। तहत पारित आलोच्य आदेश प्रथम दृष्टया अपास्त योग्य प्रतीत होता है अतः अपील अपीलान्ट इस हद तक स्वीकार की जाती है। तहत पारित आलोच्य आदेश ग्राम घेघोली तहसील अलवर की आज्ञा इंतकाल संख्या 1147 दिनॅाक 21–4–2022 बावत इन्तकाल स0 1147 वाके ग्राम घेघोली ग्राम पंचायत घेघोली तहसील अलवर जिला अलवर इस हद तक अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि भू–राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

नियम एवं अन्य राजस्व नियमों को दृष्टिगत रखते हुऐ प्रकरण मे विधिक रूप से प्रर्याप्त
य/सबूत पेश करने का प्रर्याप्त अवसर अवसर/समय प्रदान करते हुये पुनः नामान्तरकरण
र्ज करने की कार्यवाही करे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

निर्णय आज दिनांक 05-11-2024 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner